संख्या-08/2022/09/22-2-2022-17(94)/2011

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल, 2022*

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जन पुत्र श्री लालता प्रसाद पाण्डेय, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-854/प्रोबे-5-दया0 बैठक-29-12-2021 दिनांक 07-01-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जन पुत्र श्री लालता प्रसाद पाण्डेय, जो सराय जानमती, मजरे-खटवारा, थाना-जेठवारा, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश एवं लूट के उद्देश्य से दिनांक 12/13.04.1996 की रात्रि में 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डीजल डालकर घर में आग लगा दिया और गोली से मारकर 07 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-238/1996 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302, 436, 404, 449, 397, 412 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-द्वितीय, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 07.10.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 16.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.06.2021 तक 25 वर्ष, 02 माह, 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष, 03 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध कर सकने, समाज में भय व्याप्त कर सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के द्वारा कारित गंभीर अपराध (07 हत्या) एवं उम्र (56 वर्ष) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-379/2021 रज्जन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2021 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रज्जन (बन्दी संख्या-8511/2002) पुत्र श्री लालता प्रसाद पाण्डेय, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-08/2022/09(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।